

129

236

न्यायालय : भ्रान्तीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वा लियर.

निगरानी क्र०/ /016

R. 5317-के/16



सरोज कुमार मिश्रा तनय गोकुलराम मिश्रा निवासी ग्राम चिल्ल, थाना व तहसील नईगढी, जिला रीवा, म०प्र०.

----- आवेदक

आवेदक अभिप्रायिक
श्री सर्वेन्द्र कुमार पांडेय
(दारा पेश) 13.7.16

बनाम

- 01- जयकुमार
- 02- सनत कुमार
- 03- जय प्रकाश
- 04- विजय कुमार

- पितरान गोकुलराम

सभी निवासी ग्राम चिल्ल, थाना नईगढी, तह० नईगढी, जिला रीवा, म०प्र०.

05- धनोआ पुत्री गोकुलराम मृत वारिस पुत्र रामदरस तनय मडाबीर उपाध्याय निवासी ग्राम पलियाउपाध्यान, तह० मऊगंज, जिला रीवा

06- मुन्डीपुत्री गोकुलराम पत्नी शिव प्रसाद निवासी ग्राम पानिगवां, तह० नईगढी, जिला रीवा, म०प्र०.

----- अनावेदकगण.

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार, तह० मऊगंज, दिनांक 17.05.016 जो प्र० क्र० 51-3/6-3/ 15-16 मे पारित किया जाकर भूमि ख० न० 790/1 रकवा 0.57 ए०, ख० 793/1 रकवा 0.040 हे०, स्थित ग्राम चिल्ल, तह० नईगढी, जिला रीवा के अभिलेखदुरुस्तगी का आदेश दिनांक 15.04.014 के विपरीत किया गया।

Handwritten mark

Handwritten mark

सर्वेन्द्र कुमार मिश्रा


Handwritten signature

(129)
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0 5317-II / 2016

जिला-रीवा

सरोज कुमार मिश्रा / जयकुमार वगैरः

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सर्वेन्द्र कुमार पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील मउगंज के प्रकरण क्रमांक 51/अ6अ/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 15.04.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 04.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">M</p> <p style="text-align: right;"> (बी.एम.शर्मा), सदस्य</p>	